यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उद्यमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उद्यमसिंहनगर** के माह 08/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **दीपक मालवीय एवं श्री भानु प्रताप सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.09.2018 से 03.10.2018 तक श्री **ए सी कटियार,** वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.08.2017 से 12.09.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित **की गई।** जिसमें माह 05/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** समाज कल्याण विभाग की समस्त योजनाओ के कार्यकलापों का कार्य तथा इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उधमसिंह नगर है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	बचत/आधिक्य	आवंटन ₹	व्यय ₹	
2015–16	NIL	NIL	144.21	138.88	5.33	7592.63	7566.90	25.73
2016–17	NIL	NIL	167.59	163.27	4.32	9544.13	7517.14	2026.99
2017–18	NIL	NIL	242.92	235.35	7.57	11158.69	10855.99	302.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Name of scheme	Due to be released by		Actually released by		Expenditure out of funds received from		Unspent funds		Unspent funds kept in PLA/Bank	
	programme	GoI	State	GoI	State	GoI	State	GoI	State	GoI	State
2015-16											
1.	SC दशमोत्तर छात्रवृत्ति	1915.34		136.20		136.20		0.00			
2.	अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति	21.70		0.00		0.00		0.00			
3.	अनु.जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीडन	7.00		4.84		4.83		0.01		शेष धनराशि समर्पित	
4.	ST दशमोत्तर छात्रवृत्ति	520.40		296.29		296.29		0.00			

5.	OBC दशमोत्तर छात्रवृत्ति	873.60	289.71	284.92	4.79	शेष धनराशि समर्पित
6.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (केन्द्रांश)	1111.11	456.12	456.11	0.01	
7.	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	91.60	70.60	70.6	0.00	शेष धनराशि समर्पित
	Total	4540.75	1253.76	1248.95	4.81	
2016-17						
1.	SC कक्षा 9 से 10 तक छात्रवृत्ति	187.35	0.00	0.00	0.00	
2.	SC दशमोत्तर छात्रवृत्ति	1915.34	1257.41	522.98	734.43	शेष धनराशि समर्पित
3.	अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति	21.79	0.00	0.00	0.00	
4.	अनु.जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीडन	7.00	5.63	0.00	5.63	शेष धनराशि समर्पित
5.	OBC दशमोत्तर छात्रवृत्ति	874.06	115.36	11.88	103.48	शेष धनराशि समर्पित
6.	विकलांग भरण-पोषण अनुदान केन्द्रांश	16.13	16.04	16.02	0.02	शेष धनराशि समर्पित
7.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (केन्द्रांश)	733.58	619.68	305.48	314.20	शेष धनराशि समर्पित
8.	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	91.60	123.80	115.80	8.00	शेष धनराशि समर्पित
9.	ST दशमोत्तर छात्रवृत्ति	686.20	330.0	33.42	296.58	शेष धनराशि समर्पित
	Total	4533.05	2467.92	1005.58	1462.34	शेष धनराशि समर्पित
2017-18						
1.	अनु. जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	2734.43	1331.34	1326.09	5.25	शेष धनराशि समर्पित
2.	अत्याचार उत्पीडन सहायता	60.00	17.07	17.07	0.00	
3.	पिछड़ी जाति दशमोत्तर	1344.31	271.59	268.79	2.80	शेष धनराशि समर्पित

	छात्रवृत्ति (केन्द्रांश)					
4.	दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (केन्द्रांश)	14.94	8.39	8.39	0.00	
5.	डॉ. अम्बेडकर दशमोत्तर (EBC) आर्थिक रुप से पिछड़े छात्रों को छात्रवृत्ति	0.00	19.38	0.00	19.38	शेष धनराशि समर्पित
6.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (केन्द्रांश)	835.05	684.52	684.52	0.00	
7.	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	91.60	98.20	98.20	0.00	
8.	SC दशमोत्तर छात्रवृत्ति (केन्द्रांश)	686.20	383.14	209.75	173.39	शेष धनराशि समर्पित
9.	विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVT Gs) का विकास	0.00	130.00	65.00	65.00	विभागीय खाते में जमा व अगस्त 2018 में व्यय
	Total	**5766.53**	**2943.63**	**2677.81**	**265.82**	

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव, समाज कल्याण→निदेशक,→

समाज कल्याण → जिला समाज कल्याण अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उद्यमसिंहनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उद्यमसिंहनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **गौरा देवी योजना**, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देवी कन्याधन योजना आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनांतर्गत किये गये अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-01- "गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत विभागीय स्तर पर वर्ष 2015-16 से संबन्धित 527 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 263.50 लाख की सहायता राशि से वंचित रहना।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 से संबन्धित अनुसूचित जाति की 527 बालिका लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली ₹ 263.50 लाख की धनराशि का भुगतान, उक्त योजना को समाज कल्याण विभाग से हटा कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" के रूप में संचालित किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 की अवशेष बालिका लाभार्थियों हेतु समाज कल्याण विभाग को बजट आबंटित न किए जाने के कारण, संप्रेक्षा तिथि (सितम्बर 2018) तक नहीं किया जा सका था। जिसके परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से संबन्धित 527 पात्र बालिका लाभार्थी विगत दो वर्षों से उक्त योजना के अंतर्गत उनको मिलने वाले लाभ से वंचित थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत अवशेष लाभार्थियों हेतु निदेशालय स्तर से धनराशि की मांग की गयी है तथा शासन स्तर से वांछित बजट प्राप्त होने पर शीघ्र ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ही जिन पात्र बालिकाओं को वर्ष 2015-16 में लाभान्वित किया जाना था वे संप्रेक्षा तिथि (सितम्बर 2018) तक उक्त सहायता से वंचित थीं।

अतः विभागीय स्तर पर गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से संबन्धित 527 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 263.50 लाख की सहायता राशि से वंचित रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की मृत्यु के पश्चात भी ₹ 83000 का अदेय भुगतान किया जाना।

शासनादेश दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निहित होगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार उप जिलाधिकारी में निहित होगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वृद्धाओं के अपने भरण पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी/तहसीलदार को देना होगा जिसमें आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर आदि की जॉच के उपरान्त पेंशन स्वीकृत की जाती है। योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन अनुदान का भुगतान जनवरी 2014 से पूर्व रु0 400 प्रतिमाह की दर से की जाती थी, जनवरी 2014 से रु0 800 प्रतिमाह की दर तथा मई 2016 से रु0 1000 की दर से भुगतान किया जाता है। शासनादेश दिनांक 11 मार्च 2011 के अनुसार पेंशन की राशि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा फरवरी के अन्त तक किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन नियमावली 1981 के बिन्दु नियम 30 के अनुसार समस्त पेंशनरों की छमाही जॉच कि पेंशनर जिवित है और वर्तमान में भी निराश्रित है कराया जाएगा। यह सत्यापन वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद मास अप्रैल एवं पुनः अक्टूबर माह में किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर की 15 तारीख तक भेजी जाएगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर के वृद्धावस्था पेंशन अनुदान से सम्बन्धित वर्ष 2017–18 के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय को प्रेषित ग्राम पंचायतवार सूची में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान मृत्यु अथवा अपात्र होने की दशा में मृत्यु का दिनांक तथा अपात्र हाने का दिनांक दर्शित नहीं किया जाता जबकि प्रेषित प्रारुप में मृत्यु के दिनांक अंकित किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिसके परिणामस्वरुप कार्यालय को यह पता ही नहीं चल पाता कि पेंशन के रुप में निर्गत की जा रही धनराशि वास्तविक रुप से पात्र एवं जिवित लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है अथवा नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अभिलेख विद्यमान नही है जो यह सुनिश्चित कर सकें कि त्रैमासिक भुगतान किये जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना तिथि सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। वर्ष 2017–18 में सत्यापन/सामाजिक अंकेक्षण में मृत पाये गये लाभार्थियों, जिनकी मृत्यु का दिनांक दर्शित है की जॉच में पाया गया कि उनको मृत्यु के उपरान्त भी 07 से 21 माहों तक लगातार पेंशन का भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया है। विवरण निम्नवत् है;

क्रम संख्या	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	लाभार्थी संख्या	मृत्यु का दिनांक	माह तक किया गया पेंशन भुगतान	अधिक भुगतानित माह की संख्या	अधिक भुगतानित पेंशन की राशि
1	अत्ते खां	मुहिम खां	USN-14662	25/01/2017	Mar-18	15	15000
2	खुर्शीदा बेगम	मकसूद खॉ	USN-14676	30/10/2016	Mar-18	17	17000
3	नैन सिंह	राम स्वरूप	OR350900602100300007	16/08/2017	Mar-18	7	7000
4	सरस्वती देवी	पुष्कर सिंह	USN-13212	25/08/2016	Mar-18	7	7000
5	गंगा प्रसाद	ढुनमुन	USN-25130	4/1/2018	Mar-18	3	3000
6	उमाशंकर	बुद्धि राम	OR350900403300100146	27/03/2017	Mar-18	13	13000
7	श्यामो देवी	मामचन्द्र	OU350900550035200009	24/06/2016	वर्तमान तक जारी	21	21000
Total							83000

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि लाभार्थी का प्रत्येक वर्ष विधिवत सत्यापन किया गया होता तो लाभार्थियों को मृत्यु के उपरान्त 07 माह से 21 माह तक लगातार पेंशन के अदेय भुगतान से बचा जा सकता था। इस प्रकार से इकाई द्वारा मृत्यु के उपरान्त धनराशि रु0 83000.00 का अदेय भुगतान किया गया था।

उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा प्रकरण की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उल्लिखित पेंशनरो को संबंधित बैकों को पेंशन रोकने संबंधित एवं वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। इकाई के उत्तर से स्वयमेव पुष्टि होती है कि उक्त लाभार्थियों को मृत्यु के उपरांत भी पेंशन जारी थी।

अतः वृद्धावस्था पेंशन को लाभार्थियों की मृत्यु के पश्चात भी ₹ 83000 का अदेय भुगतान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :2- रुपये 299600 की छात्रवृत्ति की वैद्यता प्रमाणित किए बिना ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना।

उत्तराखंड शासनादेश संख्या 1197/XVII-4/2015-01(82)/2014 दिनांक 15 जुलाई 2015 के अनुसार तथा शासनादेश संख्या -2077/XVII-4/2014 दिनांक 14 नवंबर 2014 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की पोस्ट मात्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रवृत्ति के पात्र छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के प्रकरणों का वर्ष 2016-17 से कक्षा 9 से 12 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को भी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया था।

उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार संबन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नवीनीकरण ऑनलाइन प्रस्ताव (छात्र सूची) की जांच हेतु संबन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा संबन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूची में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति,आय, प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष मे उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, संबन्धित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जांच करेगा। संबन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए समय के अंतर्गत अपनी जांच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब के लिए संबन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे ।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंघनगर के अंतर्गत वर्ष 2016-17 की अवधि में स्वीकृत दशमोत्तर छात्रवृत्ति से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 18 प्रकरण (सूची संलग्न) ऐसे पाये गए जिनमें एक ही छात्र के नाम से जिसमे उसके पिता का नाम भी एक ही है छात्रवृत्ति प्राप्त की जा रही है। जबकि ऐसे प्रकरण होने की संभावना कम होती है जिसमे छात्रों के नाम के साथ साथ उनके पिता के नाम भी एक ही हो। अतः संलग्न सूची में दर्शाये गए छात्रों को उक्त अवधि में भुगतान की गई छात्रवृत्ति की धनराशि ₹ 299600 की वैद्यता प्रमाणित किया जाना ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार स्तर पर अपेक्षित था ।

उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लाये जाने के पश्चात संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी / संबन्धित विद्यालयों से सत्यापन कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । इकाई के उत्तर से स्वयमेव पुष्टि होती है कि उक्त लाभार्थियों की वैद्यता प्रमाणित नही की गयी थी तथा भुगतान किया गया था ।

अतः रुपये 299600 की छात्रवृत्ति की वैद्यता प्रमाणित किए बिना ही छात्रवृत्ति के भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-3- 441 लाभार्थियों के सत्यापन सहित 16 लाभार्थियों से रु. 5.55 लाख की लंबित वसूली।

उत्तराखण्ड शासन के दिशानिर्देश के अंतर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने जनपद के जिलाधिकारी से संपर्क स्थापित करते हुए संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराते हुए मृतक तथा अपात्र पेंशनरों को सॉफ्ट वेयर से पृथक करते हुए प्रत्येक दो वर्ष में थर्ड पार्टी सत्यापन कराएगें तथा अपात्र तथा मृतक पेंशनरों की धनराशि तत्काल वापस करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के उक्त योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2018) में पाया गया कि कार्यालय में योजना के अंतर्गत पंजीकृत 441 लाभार्थियों की पेंशन विभिन्न कारणों से बाधित की गयी थी। उपरोक्त 441 लाभार्थियों की नमूना जांच में पाया गया कि संप्रेक्षा अवधि तक 16 लाभार्थियों की पेंशन आधार पर डुप्लिकेसी के कारण बाधित की गयी थी। उक्त 16 लाभार्थी जिन्हें वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में पेंशन की गई थी। उनको स्वीकृति अवधि से रु. 555000/- की धनराशि पेंशन के रुप में भुगतान की गयी थी, की वसूली एवं लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया सम्प्रेक्षा अवधि तक प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि लाभार्थियों के सत्यापन के उपरांत वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यदि विभाग द्वारा लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत करते समय ही उनकी पात्रता सुनिश्चित कर ली जाती तो अनियमित पेंशन वितरण से बचा जा सकता था।

अतः वसूली एवं लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया अपनाए बगैर अनियमित पेंशन वितरण किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)	पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
13	2010-11	शून्य	08	शून्य
26	2011-12	शून्य	01	01
47	2014-15	01	04	शून्य
38	2016-17	शून्य	10	01
84	2017-18	01	08	02
योग		**02**	**31**	**04**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से संबन्धित अनिस्तारित प्रस्तरों की अदद्यतन अनुपालन आख्या प्रधान महालेखाकार (लेखा कार्यालय) उत्तराखंड, देहारादून को शीघ्र प्रेषित की जयीगी ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**कब से कब तक**
1.	श्री पी.सी. जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	28.07.17 से 30.04.18
2.	श्रीमती पल्लवी बिष्ट	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01.05.18 से 13.06.18
3.	श्री वासुदेव आर्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी	13.06.18 से 17.07.18
4.	श्री नवीन भारतीय	जिला समाज कल्याण अधिकारी	17.07.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजकि क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)